



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28031

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 15679/2024 (प्रमुख)

अब्दुल सलीम एवं 29 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : जनार्दन यादव

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

और 03 अन्य सम्बद्ध वाद

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुद्वार, न्यायमूर्ति

1. आज दाखिल प्रत्युत्तर शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. मुख्य, संबद्ध C1, संबद्ध C2 और संबद्ध C3 रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना गया।
3. परस्पर विरोधी पक्षों के अधिवक्ताओं ने संयुक्त बयान दिया है कि वे कोई और शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, अतः पक्षों की सहमति से रिट याचिका का निस्तारण नए चरण पर किया जा रहा है।
4. मुख्य रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि याचिकाकर्ताओं को भारतीय सेना में 02.09.2001, 18.03.2000, 10.01.2001, 20.04.2002, 25.10.1994, 30.08.1994, 28.06.1998, 14.09.2001, 12.09.2001, 02.02.2002, 28.08.2023, 08.01.1999, 28.10.1996, 10.08.1999, 13.03.2001, 23.08.2002, 06.07.2001, 07.07.2001, 25.03.2002, 15.02.2000, 16.08.2000, 22.04.2000, 31.12.2001, 02.04.2001, 02.01.2001, 03.01.2001, 07.01.2002, 15.07.1999, 09.01.1999, 20.02.2002 को सैनिकों के रूप में नामांकित किया गया था और उन्हें विभिन्न तिथियों पर सेवा से कार्यमुक्त किया गया था। उन्हें पुनः 02.03.2020 को पुलिस कांस्टेबल के रूप में चुना गया और विभिन्न तिथियों पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। संबद्ध C1 रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं के संबंध में, वे भी 19.03.2001, 03.05.2003, 10.08.2000 को भारतीय सेना में नियुक्त थे और उन्हें विभिन्न तिथियों 31.01.2020, 31.12.2019 और 30.11.2018 को सेवा से कार्यमुक्त किया गया था। उन्हें पुनः पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया, 02.03.2020 को चयन हुआ और प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। संबद्ध C2 रिट याचिका के याचिकाकर्ता को 24.10.1996 को भारतीय सेना में सैनिक के रूप में नामांकित किया गया था, 26.06.2014 को कार्यमुक्त किया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गया और 02.03.2020 को कांस्टेबल के रूप में चुना गया। संबद्ध C3 रिट याचिका के संबंध में, याचिकाकर्ता को 11.03.2003 को नामांकित किया गया था, 30.06.2020 को कार्यमुक्त किया गया और पुनः 02.03.2020 को चुना गया।

5. याचिकाकर्ताओं ने भारतीय सेना में की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वेतन संरक्षण (pay protection) का दावा किया। याचिकाकर्ताओं के दावे को मुख्य रिट याचिका में पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2024, संबद्ध C1 में आदेश दिनांक 19.07.2024, संबद्ध C2 में आदेश दिनांक 15.02.2023 और संबद्ध C3 याचिका में आदेश दिनांक 15.02.2023 के द्वारा नकार दिया गया।
6. उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए मुख्य, संबद्ध C1, संबद्ध C2 और संबद्ध C3 रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं।
7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिवादियों द्वारा दावे को नकारने का आधार यह था कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति शासनादेश दिनांक 23.12.2020 के जारी होने के बाद की थी, अतः वे वेतन संरक्षण के हकदार नहीं हैं; यह तर्क गलत और सदर्भ से बाहर है। विशेष रूप से तब, जब एक समन्वय पीठ द्वारा रिट-A 10689 वर्ष 2024 (सीताराम शर्मा एवं 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) के साथ संबद्ध रिट याचिकाओं में, जिसका निर्णय 09.04.2025 को हुआ, उक्त वर्गीकरण को विधि के अनुरूप नहीं माना गया था। इसके विरुद्ध दाखिल अंतः-न्यायालय अपील विशेष अपील संख्या 1233 of 2025 (उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य बनाम विनय एवं 3 अन्य) को संबद्ध अपीलों के साथ 15.12.2025 को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि पुलिस कांस्टेबलों को किसी विशेष बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजना प्रतिवादियों का काम है, जो समय-समय पर भिन्न हो सकता है, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
8. दूसरी ओर, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि अब यह मुद्दा 'रेस इंटीग्रा' (नया मुद्दा) नहीं रह गया है क्योंकि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सीताराम शर्मा एवं 13 अन्य (उपरोक्त) में इस मुद्दे का निर्णय हो चुका है, जिसकी पुष्टि विशेष अपीलीय पीठ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य (उपरोक्त) में की गई है। उनका सुझाव है कि आदेश को रद्द कर दिया जाए और मामले को प्राधिकारी के पास निर्णय के आलोक में नया आदेश पारित करने हेतु वापस भेजा जाए।
9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
10. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि रिट याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक थे, जिन्होंने सेवामुक्ति के पश्चात चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उन्हें पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया, यद्यपि उन्हें अलग-अलग बैचों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। बहरहाल, प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए उक्त रुख को सीताराम शर्मा एवं 13 अन्य (उपरोक्त) में एक समन्वय पीठ द्वारा नकार दिया गया है, जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

"1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर उपरोक्त रिट याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाकर्ता, जिन्हें उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस 2018 में कांस्टेबल जीडी के लिए चुना गया था, प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए उस भेदभावपूर्ण रुख से व्यथित हैं, जिसमें उन्हें पूर्व सैन्य कर्मियों के रूप में

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उनके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। सभी याचिकाकर्ताओं का चयन और नियुक्ति पूर्व सैनिक श्रेणी में की गई थी और उनका तर्क है कि यदि एक ही चयन के परिणामस्वरूप, चयनित अभ्यर्थियों को अलग-अलग समय पर चार बैचों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो राज्य द्वारा केवल इस आधार पर प्रथम बैच के प्रशिक्षुओं को वेतन संरक्षण देना और अन्य प्रशिक्षुओं को इससे वंचित करना न्यायोचित नहीं है कि शासनादेश द्वारा एक आगामी तिथि से पूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण न देने का निर्णय लिया गया है।

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि चयन होने के पश्चात चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना आवश्यक था, लेकिन तत्कालीन वैश्विक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने अपने आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2020 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को अलग-अलग तिथियों और अवधियों के लिए प्रशिक्षण हेतु चार बैचों में विभाजित कर दिया। प्रथम बैच को अगस्त 2020 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर भेजा गया, दूसरे बैच को मार्च 2021 में छह महीने के लिए, तीसरे बैच को अक्टूबर 2021 में छह महीने के लिए और अंतिम तथा चौथे बैच को मई 2022 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।
4. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें दूसरे बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जो मार्च 2021 से शुरू होकर सितंबर 2021 तक छह महीने चला। जबकि प्रथम बैच अपना प्रशिक्षण पूरा कर रहा था, उनके संबंध में नियुक्ति आदेश शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर, 2020 से पूर्व जारी हो गए थे। उक्त तिथि को वह शासनादेश जारी हुआ था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि अब से पूर्व सैनिक श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को कोई वेतन संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। शासनादेश में आगे यह प्रावधान था कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। शासनादेश का संबंधित पैराग्राफ, जैसा कि पैराग्राफ 22 में निहित है, नीचे उद्धृत किया गया है:-

""उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्योजन किये जाने की दशा में उनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

(1) सेना से सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजन होने पर उन्हें उस पद के वेतनमान में ही वेतन ग्राह्य होगा जिस पद पर उनका पुनर्योजन हुआ है। सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद के वेतनमान का संरक्षण नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे पुनर्योजित सैन्य पेंशनर जिनकी पूरी पेंशन वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षणीय है, का वेतन पुनर्योजन के पद के वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) ऐसे प्रकरण जिनमें वेतन निर्धारण हेतु पूरी पेंशन उपेक्षणीय नहीं है, उनमें पुनर्योजन पर प्रारम्भिक वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा, परन्तु-

(i) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान में ऐसा प्रक्रम उपलब्ध नहीं है, तो उक्त प्रक्रम के ठीक नीचे वाले प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का अधिकतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित वेतन से कम है, तो पुनर्योजन के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(iii) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का न्यूनतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित अन्तिम वेतन से अधिक है, तो वेतन निर्धारण पुनर्योजन के पद के न्यूनतम पर किया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित होने वाले वेतन में से, सैन्य सेवा से प्राप्त पेंशन का वह भाग जो उपेक्षणीय नहीं है, घटा दिया जायेगा।

(4) राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित सैन्य पेंशनर उपरोक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अपनी पूरी पेंशन अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ सहित आहरित करते रहेंगे।

4- उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे अर्थात् शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरण इन आदेशों से आच्छादित होंगे। शासनादेश की तिथि के पूर्व राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हो चुके सैन्य पेंशनरों के प्रकरण पुनरूद्घाटित (रीओपेन) नहीं किये जायेंगे।"

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जनवरी, 2021 में प्रथम बैच द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उन्हें वेतन संरक्षण प्रदान किया गया था। उदाहरण के तौर पर, 24 जनवरी, 2024 के आदेश द्वारा नवनियुक्त कांस्टेबल कुलदीप सिंह (PNO No. 202641386) के वेतन निर्धारण का विवरण रिकॉर्ड पर लाया गया है। यह तर्क दिया गया कि जब प्रथम बैच को यह लाभ दिया गया, तो दूसरे, तीसरे और चौथे बैच में चयनित अभ्यर्थियों को, जो स्वयं भी पूर्व सैनिक थे, इस लाभ से वंचित कर दिया गया।

6. रिट याचिका के पैराग्राफ 14 में इन दलों को उठाया गया है, जिसमें उन अन्य कांस्टेबलों का विवरण दिया गया है जिन्हें पूर्व सैनिक होने के नाते अंतिम वेतन संरक्षण का लाभ मिला था। इसके उत्तर में प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 16 में कहा गया है:

"रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 14 की सामग्री को इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि कांस्टेबल कुलदीप सिंह (PNO संख्या 202641386) की 11.10.2020 को पुलिस विभाग में नियुक्ति के समय शासनादेश दिनांक 26.8.1977 और 18.5.1983 प्रभावी थे। वर्तमान में, राज्य सरकार की सेवा में पूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में शासनादेश दिनांक 23.12.2020 प्रभावी है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अर्थात्, जो पूर्व सैनिक शासनादेश जारी होने की तिथि या उसके बाद राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्त हुए हैं, वे इस (नए) आदेश के दायरे में आएंगे।"

7. ऊपर उद्धृत प्रति-शपथ पत्र के पैराग्राफ 14 में किए गए अभिकथनों के केवल अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि कुलदीप सिंह को यद्यपि पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव 11.10.2020 को दिया गया था जब शासनादेश दिनांक 26.8.1977 और 18.5.1983 प्रभावी थे और इसीलिए उन्हें वेतन संरक्षण का यह लाभ प्रदान किया गया था। हालाँकि, पूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में दिनांक 23.12.2020 को शासनादेश के प्रभावी होने के कारण, उन्हें उनके पिछले प्रतिष्ठान के वेतन संरक्षण के लिए पात्र नहीं माना गया और इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता को ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सका। इस प्रकार, यह तथ्य की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ताओं को वेतन संरक्षण से केवल इस आधार पर वंचित किया गया है कि उनका प्रशिक्षण पहले बैच के प्रशिक्षण के बाद पूरा हुआ, जबकि याचिकाकर्ता भी पहले बैच की तरह ही प्रशिक्षु थे जो बाद में आरक्षी (कांस्टेबल) बने। इस प्रकार सभी नियुक्त व्यक्तियों का चयन वर्ष 2018 में आयोजित चयन और भर्ती के अनुसरण में किया गया था और इसलिए उन्होंने वेतन समानता का दावा किया।

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने वेतन संरक्षण से इनकार करने वाले शासनादेश के तहत लिए गए पक्ष का बचाव करने का प्रयास किया है, जिसके लिए उन्होंने भारत संघ बनाम अनिल प्रसाद 2022 5 एससीसी 461 के मामले में उच्चतम न्यायालय के एक प्राधिकार पर भरोसा किया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण के लाभ से वंचित करने वाले केंद्र सरकार के नियमों को बरकरार रखा गया था। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि वेतन संरक्षण लाभ से इनकार करने में सरकार की कार्रवाई में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती जिससे इसे दोषपूर्ण या अन्यथा भेदभावपूर्ण या मनमाना माना जाए। विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 4.5 पर भरोसा किया है, जो निम्नवत है:

“5.4 इसलिए, सरकारी सेवा में प्रत्यर्थी का वेतन निर्धारण पूर्णतः सीसीएस आदेश 1986 के पैरा 8 के अनुरूप था। पैरा 8 यह प्रावधान नहीं करता है कि सरकारी सेवाओं में पुनर्नियुक्ति पर एक सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी अपने अंतिम आहरित वेतन के बराबर अपना मूल वेतन निर्धारित कराने का हकदार होगा। ऐसा मानना सीसीएस आदेश के पैरा 8 का उल्लंघन होगा। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने यह प्रेक्षण करने और यह मानने में गंभीर त्रुटि की है कि सरकारी सेवा में पुनर्नियुक्ति पर सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी सशस्त्र बल कर्मी के रूप में अंतिम आहरित वेतन का हकदार होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश सीसीएस आदेश, 1986 के पैरा 8 के विपरीत होने के कारण कायम रखने योग्य नहीं है।”

9. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और मामले के अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि इस याचिका में सरकारी गैर-रक्षा प्रतिष्ठान में पुनर्नियुक्ति प्राप्त करते समय पूर्व सैन्य कर्मियों को वेतन संरक्षण के लाभ से वंचित करने वाले शासनादेश में निहित प्रासंगिक प्रावधान की तुलना में याचिकाकर्ताओं के साथ किए जा रहे भेदभाव को अधिक चुनौती दी गई है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मणिलाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 0 एससी 764 के मामले में निर्णय पर जोर दिया है, और तर्क दिया है कि केवल यदि काउंसिलिंग आयोजित नहीं की गई थी और उसमें देरी हुई थी, तो समान चयन के अनुसरण में समान और समरूप रूप से स्थित शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता था। उन्होंने निर्णय के पैराग्राफ 15 पर भरोसा किया है, जो निम्नवत है:

“अपीलकर्ता का मामला राकेश गौड़ (उपर्युक्त) के मामले के अधिक समान था, जिन्होंने 05.11.2009 को प्रवेश लिया था। इस मामले के विशेष तथ्यों पर हमारी स्पष्ट राय है कि खंडपीठ ने इस मामले के तथ्यों पर अंकुल सिंघल (उपर्युक्त) और राकेश गौड़ (उपर्युक्त) के निर्णय के तर्क को लागू करने के बजाय दिनेश

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



चंद्र डामोर (उपर्युक्त) के मामले को लागू करने में त्रुटि की है। जैसा कि अंकुल सिंघल (उपर्युक्त) में माना गया था, शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए प्रवेशित छात्रों के एक समरूप समूह के बीच आपस में भेदभाव करना अनुचित होगा। जैसा कि उसमें बताया गया था, ऐसा नहीं हो सकता कि काउंसलिंग के पहले दौर में प्रवेश लेने वाले छात्र स्नातक में 50% से कम अंक होने पर भी पात्र होंगे, जबकि काउंसलिंग के बाद के दौर में प्रवेश लेने वाले अन्य छात्र पात्र नहीं होंगे। इसी तर्क पर राकेश गौड़ (उपर्युक्त) को राहत दी गई थी। राकेश गौड़ (उपर्युक्त) अपीलकर्ता के मामले के समान स्थिति वाला मामला था। जो नियम एक के लिए है वही दूसरे के लिए भी होना चाहिए।”

11. इस प्रकार इस याचिका में इस न्यायालय द्वारा अवधारणा के लिए आवश्यक एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उसी चयन के चयनित उम्मीदवारों को प्रदान किया गया वेतन संरक्षण, जिन्हें पहले प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, उन याचिकाकर्ताओं को मना किया जा सकता है जिन्होंने बाद में प्रशिक्षण प्राप्त किया क्योंकि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण प्रशिक्षण चार अलग-अलग बैचों में आयोजित किया गया था। प्रत्यर्थी की ओर से इस बात का कोई खंडन नहीं है कि द्वितीय बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए सभी याचिकाकर्ता और उसके बाद के याचिकाकर्ता एक ही विज्ञापन के अनुसरण में उसी चयन के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षी (जीडी) के पद के लिए चयनित किए गए थे। प्रशिक्षण ऐसे चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया का हिस्सा है और एक बार उम्मीदवार का चयन हो जाने के बाद, अंतिम रूप से प्रकाशित और घोषित चयन सूची में स्थान मिलने के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण होता है। इस प्रकार, नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए उम्मीदवार को प्रशिक्षण पर भेजने हेतु एक बार चयन सूची तैयार हो जाने के बाद चयन का कोई और चरण शेष नहीं रह गया था। इसलिए, यह चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव देने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, और इसलिए, न्यायालय के सुविचारित मत में, यदि प्रत्यर्थी ने अपनी प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में प्रशिक्षुओं को अलग-अलग समूहों और जत्थों में बांटकर प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग तिथियों पर भेजने का निर्णय लिया था और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर ऐसे प्रशिक्षुओं को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा रहा था, तो उनके साथ सेवा लाभों जैसे कि वेतनमान, भत्ते और प्रशन्नगत पद के लिए स्वीकार्य अन्य उपलब्धियों के मामले में निश्चित रूप से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि ज्येष्ठता के मामले में भी, केवल चयन सूची का ही पालन किया जाना है। मणिलाल (उपर्युक्त) के मामले में उद्धृत निर्णय याचिकाकर्ताओं के मामले को पूरी तरह से कवर करता है। उक्त मामले में न्यायालय ने यह माना था कि एक समरूप समूह के बीच आपस में भेदभाव को स्वीकृति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार एक ही चयन के अनुसरण में सभी चयनित व्यक्ति एक समरूप समूह बनाएंगे और उनकी नियुक्ति प्रशिक्षण के दौरान अस्वीकृति के अधीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का केवल एक परिणामी फल है। एक बार जब एक समरूप समूह को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो सभी सदस्यों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

12. प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले समूहों या जत्थों के आधार पर किया गया कोई भी वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा क्योंकि यह समान रूप से स्थित कर्मचारियों को लाभ देने के उद्देश्य से एक उचित वर्गीकरण नहीं होगा। समानता का एक सुस्थापित नियम यह है कि असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता और समान रूप से स्थित

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



व्यक्तियों के साथ वेतन समानता और सेवा लाभ प्रदान करने के लिए एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

13. फिरंगी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2011) 2 यूपीएलबीईसी 987 के मामले में, इस न्यायालय ने यह माना है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने में की गई गलती के लिए याचिकाकर्ताओं को प्रतिकूल स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि यह मामला नियमितीकरण से संबंधित था, लेकिन चूँकि प्रबंधन ने नियुक्ति आदेश देरी से जारी किए थे और यहाँ तक कि नियमितीकरण नियमों की कट-ऑफ तिथि के बाद भी जारी किए थे, फिर भी नियमितीकरण का लाभ देने के लिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया था। इस निर्णय का आगे महेश नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (वाद ए संख्या 55606/2008), दिनांक 19.12.2019 को निर्णीत, के मामले में पालन किया गया है, जिसमें एक विज्ञापन के सभी आवेदकों को चयनित होने पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए एक समरूप समूह माना गया था, इस कारण से कि विज्ञापन और चयन पुरानी पेंशन योजना के समाप्त होने से पहले हुए थे, भले ही नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए गए थे।
14. मामले के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, जहाँ तक पूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण से वंचित करने का संबंध है, मुझे इसके लागू होने में शासनादेश में कुछ भी भेदभावपूर्ण नहीं लगता है, लेकिन शासनादेश केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगा जहाँ उम्मीदवारों का चयन इसके जारी होने के बाद किया गया था। वे सभी जिन्हें अंततः नियुक्ति दिए जाने के लिए प्रशिक्षण पर भेजा गया है, वे एक समरूप समूह बनाएंगे जो वेतन संरक्षण सहित ऐसे सभी लाभों के हकदार होंगे और उनके दावे पर अभी उक्त शासनादेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
15. जहाँ तक विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय का प्रश्न है, उसमें प्रतिपादित विधि के संबंध में मेरा कोई मतभेद नहीं है क्योंकि मेरा भी यह मत है कि इस मामले की विशेष परिस्थितियों में शासनादेश का निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे वर्तमान मामले में लागू नहीं माना गया है।
16. उपरोक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं को अंतिम वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करे जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2018 के अनुसरण में प्रशिक्षुओं के पहले बैच को दिया गया है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा और याचिकाकर्ताओं को परिणामी लाभ प्रदान किया जाएगा।

11. इसके अतिरिक्त इस न्यायालय की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य (उपर्युक्त) में दिनांक 15.12.2025 को अपील खारिज कर दी है, जिसका आदेश निम्नवत उद्धृत है:

"1. सभी अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से श्री मनीष गोयल, विद्वान अपर महाधिवक्ता, सहायता हेतु श्री तेज भानु पांडेय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, और संबंधित अपीलों में प्रत्यर्थियों की ओर से श्री आर.के. ओझा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायता हेतु श्री सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी और श्री आदित्य प्रकाश वर्मा, विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. ये सभी अपीलें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संबंधित रिट याचिकाओं में पारित समान निर्णय और आदेश दिनांक 09.04.2025 के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिन्हें रिट ए संख्या 10689/2024, सीता राम शर्मा एवं 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य के साथ निर्णीत किया गया था, जिसके द्वारा इसमें प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया था और अपीलकर्ता संख्या 3 (इसमें) को निर्देश दिया गया था कि वह इसमें याचिकाकर्ताओं को अंतिम वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करे, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2018 के अनुसरण में प्रशिक्षुओं के पहले बैच को दिया गया है और उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा और परिणामी लाभ दिया जाएगा।
3. अपीलकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य ने इन सभी अपीलों में समान मुद्दा उठाया है, और इसलिए, उन्हें एक साथ सुना गया और इस साझा आदेश द्वारा निर्णीत किया जा रहा है। सभी अपीलों में निहित मुख्य प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयन सूची में रखे गए उम्मीदवारों का उनके संबंधित नियुक्ति पत्रों की तिथि और उनके प्रशिक्षण के लिए उल्लिखित तिथि के आधार पर अलग वर्ग के रूप में माना जा सकता है। प्रत्येक अपील में उम्मीदवारों के संबंध में तथ्यात्मक विवरण, जैसे कि उनके पिछले सेवा विवरण, नियुक्ति पत्र की तिथि और उनके प्रशिक्षण की अवधि के लिए पत्र में उल्लिखित तिथि, भिन्न हो सकते हैं।
4. सुविधा के लिए, तथ्यात्मक विवरण विशेष अपील संख्या 1240/2025 से लिए जा रहे हैं, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 09.04.2025 में यह मुख्य याचिका थी, हालाँकि, वर्तमान साझा आदेश का परिणाम सभी संबंधित मामलों पर लागू होगा। केवल तथ्यात्मक अंतर संबंधित अपीलों में प्रत्यर्थियों/उम्मीदवारों की संख्या का है।
5. विशेष अपील मामलों के इस समेकित समूह के अभिलेखों के अवलोकन के बाद, यह प्रतीत होता है कि इसमें सभी प्रत्यर्थी भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सदस्य हैं, जिन्होंने विभिन्न समय पर विभिन्न रेजिमेंटों में नामांकन प्राप्त किया था। यह भी प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रत्यर्थी को उसकी सेवा की अवधि विधिवत पूरी होने पर कार्यमुक्त या सेवानिवृत्त किया गया था। उनकी व्यक्तिगत सेवा अवधियों में अंतर के बावजूद, इन मामलों में जो सामान्य तथ्य उभरता है वह यह है कि सभी प्रत्यर्थियों ने अपनी सैन्य सेवा समाप्त कर ली थी और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उनका चयन हुआ और उन्होंने उसी चयन सूची में अपना स्थान सुरक्षित किया, जो अपीलों के इस जत्थे का विषय है।
6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि अक्टूबर 2018 की सीधी भर्ती के अनुसरण में तैयार की गई चयन सूची से नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, क्योंकि प्रशिक्षण इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने तर्क दिया कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, राज्य के लिए चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से आयोजित करना आवश्यक हो गया था, और इसलिए, उम्मीदवारों के संबंधित प्रशिक्षण चरणों के अनुरूप अलग-अलग तिथियों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। यह भी तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने अपने आदेश दिनांक 25.07.2020 द्वारा चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग तिथियों और अलग-अलग अवधियों के प्रशिक्षण के लिए चार बैचों में विभाजित किया था। इसके पश्चात, पहले बैच ने अगस्त 2020 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। दूसरे बैच ने मार्च 2021 में छह महीने के लिए शुरू किया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तीसरे बैच ने अक्टूबर 2021 में छह महीने के लिए शुरू किया, और चौथे बैच ने मई 2022 में भी छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण शुरू किया।

7. विद्वान अपर महाधिवक्ता के अनुसार, राज्य अलग-अलग बैचों में, अलग-अलग समय पर प्रशिक्षण के लिए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग वेतन संरचना निर्धारित करने के अपने अधिकार के भीतर था, और अपीलकर्ता राज्य अन्य बैचों के उम्मीदवारों को वही वेतन संरक्षण दिए बिना नियुक्ति पत्र देने में उचित था, जो पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए गए सदस्यों को दिया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि चयन सूची को सभी उद्देश्यों के लिए एक समरूप वर्ग नहीं माना जा सकता है, और राज्य बाद के तीन बैचों को पहले बैच से अलग आधार पर रखने में उचित है, जिसने अन्य बैचों से पहले ही प्रशिक्षण पूरा कर लिया था।
8. यह निर्विवाद है कि पहला बैच, जिसने जनवरी 2021 में अपना प्रशिक्षण पूरा किया था, उसे वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था। विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा दिया गया मुख्य तर्क यह है कि एक ही सूची से चयनित अलग-अलग बैचों के उम्मीदवारों के साथ किया गया भेदभावपूर्ण व्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुमेय दायरे के भीतर है, और इसलिए राज्य उन चार बैचों के लिए अलग वेतन संरचना निर्धारित करने का हकदार है जिन्होंने अलग-अलग समय पर प्रशिक्षण शुरू किया था।

9. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 के नियम 19 पर मरोसा किया है, जिसे आसान संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

"नियम - 19. प्रशिक्षण।

(1) (क) नियम 15 और 16 के तहत आरक्षी के पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों पर पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज मैनुअल के प्रावधान प्रभावी होंगे। यदि बुनियादी प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसका चयन/अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।

(ख) बुनियादी प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण होने वाले कैडेटों की पुनः परीक्षा पूरक प्रशिक्षण के बाद विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएगी। पूरक प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) नियम 17 के तहत पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक होगा।"

10. विद्वान अपर महाधिवक्ता का तर्क है कि आरक्षी के पद पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण लेना और उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जिसमें विफल रहने पर उनका चयन रद्द किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि नियम अधिकारियों को पूरक प्रशिक्षण और पुनः परीक्षा आयोजित करने और उसके बाद भी विफल होने वाले उम्मीदवारों की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार देता है, जबकि पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को भी इसी तरह निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है और इसलिए, जब तक प्रशिक्षण पूरा नहीं हो जाता, राज्य वेतन संरचना में परिवर्तन प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रत्यर्थियों का चयन नागरिक पुलिस और पीएसी में आरक्षी के पदों के लिए 2018 में शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के अनुसरण में किया गया था और उन्हें मार्च 2020 में घोषित परिणाम में पूर्व सैनिक श्रेणी में विधिवत स्थान दिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि शासनादेश दिनांक 23.12.2020, जहाँ तक यह प्रावधान करता है कि उक्त तिथि के बाद की गई सभी नियुक्तियाँ वेतन संरक्षण की हकदार नहीं होंगी, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, विशेष रूप से तब जब सभी उम्मीदवार एक ही चयन सूची में रखे गए हों। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम चरण में नियुक्त उम्मीदवारों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था, जिस तथ्य को राज्य सरकार द्वारा लगातार स्वीकार किया गया है।

12. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने मणिलाल बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 2024 एससी 4404 पर भरोसा किया है, और तर्क दिया है कि वे सभी उम्मीदवार जो एक सामान्य चयन के अनुसरण में चयनित हुए थे, वे एक एकल समरूप समूह बनाएंगे और इस समरूप समूह के बीच आपस में भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वह इस उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2019 को निर्णीत महेश नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, वाद ए संख्या 55606/2008 पर भी भरोसा करते हैं। उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि इस तरह के अलग व्यवहार को केवल किसी सुस्पष्ट अंतर (*intelligible differentia*) के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, जो इन मामलों के तथ्यों में मौजूद नहीं है।

13. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रशिक्षण के संबंध में विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क अर्थात् उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी नियमावली, 2015 के नियम 19 का भी उत्तर दिया है। उनके अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही प्रेक्षण किया है कि प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों के लिए एक प्रक्रिया है और एक बार नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए उम्मीदवार को प्रशिक्षण पर भेजने हेतु चयन सूची तैयार हो जाने के बाद चयन का कोई और चरण शेष नहीं रह गया था। वह उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी नियमावली, 2015 के नियम 18 पर भी भरोसा करते हैं, जिसे आसान संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

'नियम - 18. नियुक्ति।

(1) नियम 15 और 16 के प्रावधानों के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी उसी क्रम में उम्मीदवारों के नाम लेकर नियुक्ति करेगा जिस क्रम में वे नियम 15 के खंड (छ) के तहत तैयार की गई सूची में हैं। नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवारों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि उन्हें पत्र जारी होने की तिथि के एक महीने के भीतर या नियुक्ति पत्र में इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किसी भी तिथि के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका चयन/नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी:

परंतु यह कि इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो पद पर कार्यरत है, इन नियमों के तहत मौलिक रूप से नियुक्त माना जाएगा।

(2) यदि नियम 17 के तहत किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें चयन में निर्धारित ज्येष्ठता

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के क्रम में व्यक्तियों के नाम का उल्लेख होगा या, जैसा भी मामला हो, जिस संवर्ग से उन्हें पदोन्नत किया गया है उसमें उनकी जो स्थिति थी उसके अनुसार:

परंतु यह कि इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उस पद पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के तहत मौलिक रूप से नियुक्त माना जाएगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इन नियमों के तहत की गई मानी जाएगी।"

14. उपरोक्त प्रावधान पर भरोसा करते हुए, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नियम 18 नियम 15 और 16 के तहत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने की परिकल्पना करता है, और उसके बाद ही नियम 19 ऐसे उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने की आवश्यकता बताता है। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि नियमों की योजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि नियुक्ति पत्र प्रशिक्षण से पहले मिलता है, और इसलिए, प्रशिक्षण को चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही ठहराया गया है, क्योंकि प्रशिक्षण नियुक्ति के बाद आयोजित किया जाना है।
15. हमने अपीलकर्ताओं/राज्य के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मामले के अभिलेखों, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष भी शामिल हैं, का अवलोकन किया है। कुछ मूलभूत तथ्य विवाद में नहीं हैं। सभी उम्मीदवार, चाहे वे बाद में किसी भी बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए हों, अक्टूबर 2018 में जारी एक ही भर्ती विज्ञापन के अनुसरण में चयनित किए गए थे। चयन सूची साझा थी, चयन प्रक्रिया एकसमान थी, और नियुक्तियाँ अविभाज्य रूप से एक ही भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी थीं।
16. अभिलेखों के सरल अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि सभी नियुक्ति पत्र अक्टूबर 2018 की उसी सीधी भर्ती के अनुसरण में की गई नियुक्तियों से संबंधित हैं, जो एक ही विज्ञापन और चयन प्रक्रिया से उत्पन्न हुए हैं। यह किसी भी पक्ष का मामला नहीं है कि चयन सूची के विज्ञापन में ऐसा कोई वर्गीकरण या श्रेणी-वार भेदभाव निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, राज्य ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि प्रशिक्षण के लिए चार अलग-अलग चरणों में भेजे जाने वाले उम्मीदवारों को किसी तर्कसंगत वर्गीकरण के आधार पर रखा गया था।
17. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा सुविचारित मत है कि चरणों में आयोजित किया जाने वाला प्रशिक्षण केवल अपीलकर्ता राज्य के पास उपलब्ध ढांचागत सीमाओं और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपात स्थितियों के कारण आवश्यक हुआ था, न कि चयन सूची के उम्मीदवारों के बीच किसी सुस्पष्ट अंतर के कारण। इसलिए, बाद के बैचों में प्रशिक्षण पर रखे गए उम्मीदवारों को लाभ से वंचित करना घोर मनमाना है और शत्रुतापूर्ण भेदभाव के दोष से ग्रस्त है।
18. विद्वान अपर महाधिवक्ता के तर्क का पूरा आधार यह है कि चरणबद्ध प्रशिक्षण ने स्वयं चार अलग-अलग श्रेणियां बनाई, जिससे राज्य बाद के बैचों का हिस्सा रहे प्रत्यर्थियों से वेतन संरक्षण रोकने के लिए अलग वेतन संरचना निर्धारित करने में सक्षम हो गया।
19. जबकि यह न्यायालय महामारी से संबंधित आकस्मिकताओं और ढांचागत सीमाओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन इस तरह की बाहरी और अस्थायी प्रशासनिक मजबूरियाँ एक समरूप वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार को उचित नहीं ठहरा सकती हैं। अनुच्छेद 14 के तहत अनुमेय वर्गीकरण को नियंत्रित करने वाली कानूनी स्थिति विस्तार की आवश्यकता के लिए बहुत अच्छी तरह से स्थापित है और जब स्थापित मापदंडों पर परीक्षण किया जाता है, तो अपीलकर्ता राज्य द्वारा दी गई दलील जांच में टिक नहीं पाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



20. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) 1 एससीसी 1 में, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि वर्गीकरण अस्पष्ट, अनिश्चित या मायावी नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता की परीक्षा पास करने के लिए, वर्गीकरण एक सुस्पष्ट अंतर (*intelligible differentia*) पर आधारित होना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को मनमाने भेदभाव से बचाना है, चाहे वह किसी कानून की स्पष्ट शर्तों के कारण हो या किसी कानून के अनुचित अनुप्रयोग के कारण। किसी भी वर्गीकरण को प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध रखने वाले एक सुस्पष्ट अंतर पर आधारित होना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर, ऐसा वर्गीकरण अस्वीकार्य भेदभाव का परिणाम होता है।
21. डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1990) 2 एससीसी 715 में, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि एक ही भर्ती अधिसूचना और चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले उम्मीदवार सेवा लाभों के उद्देश्य से एक एकल वर्ग का गठन करते हैं। ज्येष्ठता के निर्धारण के संबंध में शीर्ष अदालत ने माना है कि एक बार जब पट्टधारी को नियम के अनुसार पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी ज्येष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि से गिनी जानी चाहिए न कि उसकी पुष्टि (*confirmation*) की तिथि के अनुसार। इस सिद्धांत को लागू करते हुए, प्रशिक्षण के पूरा होने को एक ही चयन सूची में रखे गए उम्मीदवारों के बीच एक उप-वर्ग बनाने के लिए विचार किए जाने वाले बिंदु के रूप में नहीं माना जा सकता है।
22. अपीलकर्ताओं ने किसी भी ऐसे वैधानिक नियम की ओर इशारा नहीं किया है जो राज्य को वेतन निर्धारण या वेतन संरक्षण के उद्देश्य से एक चयन सूची के भीतर उप-श्रेणियां बनाने के लिए अधिकृत करता हो। वास्तव में, राज्य का अपना पक्ष यह है कि प्रशिक्षण के लिए चरणबद्ध तरीके से भेजा जाना पूरी तरह से प्रशासनिक आवश्यकता के कारण था। प्रशासनिक आवश्यकता, भले ही वह सद्भावी (*bona fide*) हो, अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक रूप से अनुमेय अंतर के स्तर तक नहीं बढ़ाई जा सकती। इस तरह के मार्ग की अनुमति देने से राज्य मनमाने या आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर समान अधिकारों को खंडित करने में सक्षम हो जाएगा, एक ऐसी प्रथा जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार अस्वीकार किया गया है।
23. विद्वान एकल न्यायाधीश, इसलिए, यह मानने में सही थे कि प्रत्यर्थी और अन्य समान रूप से स्थित उम्मीदवार, जिन्हें अक्टूबर 2018 की उसी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था, उन्हें वेतन संरक्षण और सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता था जो पहले प्रशिक्षण के लिए भेजे गए उम्मीदवारों के पहले बैच को दिए गए थे। संवैधानिक मानकों के स्वतंत्र अनुप्रयोग पर, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिली है।
24. यहाँ ऊपर दर्ज कारणों से, हमारा मत है कि अपीलकर्ता राज्य द्वारा एक ही चयन सूची में रखे गए उम्मीदवारों के बीच केवल उन तिथियों के आधार पर किया गया भेदभाव, जिन पर उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में एक अस्वीकार्य वर्गीकरण है।
25. वेतन संरक्षण का लाभ और संबंधित वेतन संरचना, जो राज्य द्वारा पहले बैच को दी गई है, दूसरे, तीसरे और चौथे बैच के उम्मीदवारों से नहीं रोकी जा सकती जो उसी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थे और उसी चयन सूची में रखे गए थे।
26. इसलिए, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है। तदनुसार विशेष अपीलों का जत्था विफल होता है और खारिज किया जाता है। विद्वान एकल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थियों और अन्य सभी समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को वेतन संरक्षण और परिणामी लाभ देने के लिए जारी किया गया निर्देश पुष्ट किया जाता है। राज्य इस आदेश की तिथि से बारह सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।”

28. चूँकि विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के अनुसार उनके मुवक्किल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, उपर्युक्त हस्तक्षेपकारी तथ्यों के आलोक में मामलों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

29. तदनुसार, सभी रिट याचिकाओं को निम्नलिखित तरीके से निर्णीत किया जा रहा है:-

(क). मुख्य रिट याचिका में पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 07.05.2024, संबंधित सी1 में आदेश दिनांक 19.07.2024, संबंधित सी2 में आदेश दिनांक 15.02.2023 और संबंधित सी3 याचिका में आदेश दिनांक 15.02.2023 को निरस्त किया जाता है।

(ख). आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार कड़ाई से नया आदेश पारित करने के लिए मामलों को वापस भेजा जाता है।

14. तदनुसार, मुख्य रिट याचिका, संबंधित सी1, संबंधित सी2 और संबंधित सी3 रिट याचिकाएं निस्तारित की जाती हैं।

9 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विकास बुधवर, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”